न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 100/2024

पवनदीप कौर उम्र 34 वर्ष पत्नी भूपेन्द्र सिहं जाति जट सिख साकिन सदासिहंवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—— प्रार्थिया

–:बनाम:–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री चानणराम अधिवक्ता —— प्रार्थिया
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 26/11/24

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र श्री चानणराम अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया का पंजीकृत व प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि मिन प्रार्थिया की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता स. 4/100 के प.नं. 39/290 के कि.नं. 11, 12, 13, 14 की 1.012 हैक. नहरी मिन प्रार्थिया के नाम व कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमांबदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है ।

प्रार्थिया का सही नाम पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं है, प्रार्थिया के तमाम दस्तावेजो मे भी प्रार्थिया का नाम पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र ही दर्ज रिकार्ड है, लेकिन बचपन में प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में घरेलू नाम अमनदीप कौर बोले जाने के कारण सहवन से राजस्व रिकार्ड में वर्णित प्रार्थिया की तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल. जी. डब्ल्यू. के खाता स. 4/100 के प.नं. 39/290 के कि.नं. 11, 12, 13, 14 की 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि में प्रार्थिया का नाम अमनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं दर्ज रिकार्ड हो गया जबकि प्रार्थिया का सही नाम पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं है, प्रार्थिया अपने तमाम दस्तावेजो के आधार पर अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में दर्ज अपना नाम अमनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं के स्थान पर पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं नाम अंकन करवाने की अधिकारीनी है। जिसके कारण प्रार्थिया को कृषि भूमि से सम्बंधित अन्य तमाम कार्य करने में सुविधा रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया का सही नाम पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को छोड़कर शेष सभी दस्तावेजो में भी प्रार्थिया का नाम पवनदीप कौर अंकित है ।

प्रार्थिया को पवनदीप कौर के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है। चक 6 एल.जी. डब्ल्यू में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थिया का नाम सहवन से अमनदीप कौर दर्ज हो गया है। जिससे प्रार्थिया को असुविधा होती है एवं कृषि सम्बंधि व अन्य सरकारी सुविधा लेने में परेशानी हो रही है। इसलिये प्रार्थिया राजस्व अभिलेख में अपना सही नाम पवनदीप कौर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करवाने की अधिकारीनी है। यह कि तहसीलदार पीलीबंगा को भूमि का भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है, जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत व अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.जी. डब्ल्यू के खाता स. 4/100 के प.नं. 39/290 के कि.नं. 11, 12, 13, 14 की 1.012 हैक्. नहरी कृषि भूमि में प्रार्थिया का नाम अमनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं दर्ज रिकार्ड हो गया जबकि प्रार्थिया का सही नाम पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं है, प्रार्थिया अपने तमाम दस्तावेजो के आधार पर अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में दर्ज अपने नाम अमनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं के स्थान पर पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिहं दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 1771 दिनांक 23.10.24 से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 6 एल.जी.डब्ल्यू. के ऑनलाईन जमाबन्दी के खाता नं. 4 के प.नं. 39/290 मु.नं. 41 कि.नं. 11 ता 14 की 1.012 हैक्ट. भूमि अमनदीप कौर पत्नी श्री भूपेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है, जो ई. नं. 349 दिनांक 26.03.19 के द्वारा जरिये डिक्री प्राप्त हुई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार स्थानीय पूछताछ एवं जाँच पड़ताल एवं पवनदीप कौर के दस्तावेज के आधार पर पाया कि अमनदीप कौर का सही नाम पवनदीप कौर ही है, जो उसके पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास में दर्ज है। पवनदीप कौर अमनदीप कौर एक ही महिला है, जो सदासिंहवाला में निवास करती है। तहसीलदार रिपोर्ट के द्वारा चक 6 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता नं. 4 में अमनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह के स्थान पर पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह करने की अनुशंषा की गयी है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सह काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–ःआदेशः–

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली अवलोकन व संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता नं. 4 के प.नं. 39/290 मु.नं. 41 की कुल 1.012 हैक्ट. नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड में अमनदीप कौर पत्नी श्री भूपेन्द्रसिंह के नाम के स्थान पर पवनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह नाम किये जाने जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

26/11/24

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा